

दिनांक 07 अप्रैल, 2020 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: इस योजना में क्या शामिल है?

यह योजना दुर्घटना बीमा योजना सहित निम्नलिखित को कवर करती है;

- कोविड-19 के कारण जीवन क्षति और
- कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के कारण आकस्मिक मृत्यु।

प्रश्न 2: दुर्घटना की परिभाषा क्या है?

दुर्घटना अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना है, जो कि बाह्य, प्रत्यक्ष और हिंसक साधनों के कारण होती है।

प्रश्न 3: योजना के अंतर्गत कौन-कौन आते हैं?

• सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जिन्हें कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है और जिन्हें इससे प्रभावित होने का जोखिम होता है।

• यह योजना केंद्र/राज्य/संघशासित प्रदेशों के राज्य/केंद्रीय अस्पतालों/स्वायत्त अस्पतालों की आवश्यकता के लिए मांगे गए निजी अस्पताल के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त/ स्वयंसेवी/स्थानीय शहरी निकायों/अनुबंध/दिहाड़ी मजदूर/तदर्थ/आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों, एम्स एवं आईएनआई/कोविड-19 से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार किए गए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को भी कवर करती है।

प्रश्न 4: इस योजना के तहत स्वैच्छिक कार्यकर्ता कौन हो सकता है?

स्वैच्छिक कार्यकर्ता, वे हैं जिन्हें देखभाल के लिए केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाता है। इसके साथ ही जो कोविड-19 रोगी के सीधे संपर्क में कार्य करते हैं।

प्रश्न 5: इस योजना के तहत 'निजी कार्यकर्ता' कौन हैं?

• निजी कार्यकर्ता वे हैं, जो एक एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/संगठन दोनों में कार्यरत हैं और देखभाल के लिए तैनात/शामिल किए गए हैं तथा कोविड-19 रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सकते हैं (ये संगठन, सेवा संस्था/संगठन द्वारा प्रमाणित तौर पर काम के लिए संबंधित किये गये थे)।

प्रश्न 6: बीमा कवरेज नीति कब शुरू और समाप्त होती है?

• कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना' दिनांक 30 मार्च, 2020 को शुरू की गयी है, जो कि नब्बे दिनों की अवधि तक घोषित है।

प्रश्न 7: क्या इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोई आयु-सीमा है?

• इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

प्रश्न 8: क्या व्यक्तिगत नामांकन की आवश्यकता है?

• इसके लिए व्यक्तिगत नामांकन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 9: क्या व्यक्तिगत तौर पर इस योजना में पात्र होने के लिए किसी प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है?

इस योजना में प्रीमियम की पूरी राशि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है।

प्रश्न 10: बीमा व्यक्तियों को क्या लाभ मिलता है?

• बिमा व्यक्ति के दावेदार को पचास लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा।

प्रश्न 11: क्या लाभ का दावा करने के लिए कोविड-19 का प्रयोगशाला परीक्षण करवाना अनिवार्य है?

कोविड-19 के कारण जन हानि होने की स्थिति में पोजिटिव मेडिकल परीक्षण प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है। हालांकि, कोविड-19 संबंधित ड्यूटी के कारण होने वाली जान-माल की क्षति में इसकी आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 12: क्या इस योजना में उपचार में या क्वॉरन्टीन के दौरान किये जाने वाले खर्च शामिल हैं?

इसमें उपचार या क्वॉरन्टीन से संबंधित किसी भी प्रकार के खर्च को शामिल नहीं किया जाता है।

प्रश्न 13: यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अन्य व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी या जीवन बीमा पॉलिसी है, तो क्या यह पॉलिसी उसके दावे से किसी तरह संबंधित है?

- इस नीति के अंतर्गत शामि लाभ/दावे, किसी भी अन्य पॉलिसियों पर देय राशि के अतिरिक्त हैं।

प्रश्न 14: इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए दावा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज?

क. कोविड 19 के कारण जन हानि के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

1. मनोनीत/दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधिवत भरा हुआ फार्म
2. मृतक पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
3. दावेदार पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
4. मृतक और दावेदार के बीच रिश्तेदारी का प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)
5. कोविड को प्रमाणित करने वाली पोजिटिव मेडिकल परीक्षण प्रमाणित प्रयोगशाला रिपोर्ट (मूल या प्रमाणित प्रति)
6. जहां मृत्यु हुई वहां के अस्पताल द्वारा दिया गया मृत्यु सारांश (अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में) (प्रमाणित प्रति)।
7. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल)
8. स्वास्थ्य देखभाल संस्था/संगठन/कार्यालय द्वारा प्रमाणित करना कि मृतक कर्मचारी देखभाल करने वाले संस्थान से जुड़ा हुआ था एवं मरीजों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था और हो सकता है कोविड-19 रोगी के सीधे संपर्क में आया हो। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए, प्रमाणपत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किया गया हो एवं प्रमाणित करता हो, कि आशा/आशा फैसिलिटेटर कोविड-19 से संबंधित कार्य के लिए तैनात किया गया था।

ख. कोविड-19 से संबंधित स्थिति में जानमाल के नुकसान होने पर निम्न दस्तावेजों आवश्यकता होती है:

1. मनोनीत/दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधिवत भरा हुआ फार्म
2. मृतक पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
3. दावेदार पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)
4. मृतक और दावेदार के बीच रिश्तेदारी का प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)
5. जहां मृत्यु हुई वहां के अस्पताल द्वारा दिया गया मृत्यु सारांश (अस्पताल में मृत्यु होने की स्थिति में) (प्रमाणित प्रति)।
6. मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)
7. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
8. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रमाणित प्रति)
9. कैंसिल चेक (वांछनीय)
10. एफआईआर (प्रमाणित प्रति)
11. स्वास्थ्य देखभाल संस्था/संगठन/कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि मृतक कर्मचारी देखभाल करने वाले संस्थान से जुड़ा हुआ था एवं संस्थान द्वारा मरीजों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था और कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु हुई।

प्रश्न 15: किसी भी दावे के मामले में किससे संपर्क करें?

बीमित व्यक्ति को कार्यरत संस्था/विभाग में सूचित करना चाहिए। बीमा कंपनी को ईमेल आईडी nia.312000@newindia.co.in पर सूचित किया जा सकता है।

प्रश्न 16: दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?

निर्धारित तरीके से दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र भरना है और मृतक की कार्यरत हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन/संगठन/कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

संबंधित संस्थान द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण करने के बाद सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम प्राधिकारी, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/निदेशक चिकित्सा शिक्षा या कोई अन्य अधिकारी होते हैं।

केंद्र सरकार के लिए सक्षम अधिकारी केंद्रीय स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल, एम्स, आईएनआई और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों के लिए निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक या संबंधित संस्थान के प्रमुख हैं।

सक्षम प्राधिकारी अग्रेषित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रश्न 17: बीमा कंपनी में किससे संपर्क करें?

न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि. के नई दिल्ली में स्थित प्रभागीय कार्यालय सीडीयू 312000। B-401, अंसल चेम्बर्स 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 ।

संपर्क: -1. श्रीमति सारिका अरोरा, मंडल प्रबंधक, ईमेल sarika.arora@newindia.co.in या nia.312000@newindia.co.in

श्री एन.राव, उप प्रबंधक, ईमेल आईडी ravin.rao@newindia.co.in या niadelbroker20@gmail.com

श्री योगेंद्र सिंह तंवर, प्रशासनिक अधिकारी, ईमेल आईडी yogendra.tanwar@newindia.co.in

* * * * *